आवश्यक / समयबद्ध

पत्र संख्या–स0नि0–विभागीय कार्यालय / आवासीय भवन–मरम्मत–वृहद–लघु निर्माण कार्य / 2023–24 / 61 / राज्य कर

प्रेषक,

आयुक्त
राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1– अपर आयुक्त राज्य कर,
नोयडा जोन नोयडा।

2– समस्त जोनल अपर आयुक्त
राज्य कर, उ0 प्र0।

3– अपर निदेशक,
राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान,
उ0 प्र0, लखनऊ।

(सम्पत्ति अनुभाग) **लखनऊ :: दिनांक :: 24 अप्रैल, 2023**

विषयः– विभागीय आवासीय / कार्यालय भवनों / विभागीय भूमि पर निर्माण / लघु निर्माण / अनुरक्षण कार्य कराये जाने हेतु परिपक्व एवं औचित्यपूर्ण आगणन प्रस्ताव समयान्तर्गत नियमानुसार उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य कर विभाग के विभागीय कार्यालय भवनों व आवासीय भवनों तथा विभागीय भूमि में पर निर्माण / लघु निर्माण / अनुरक्षण कार्य कराये जाने हेतु लेखा अनुदान में बजट का प्राविधान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य कर विभाग के विभागीय कार्यालय / आवासीय भवनों में मरम्मत / अनुरक्षण कार्य / लघु निर्माण कार्य / नये निर्माण कार्य तथा विभाग को उपलब्ध भूमि जहां पर भविष्य में कार्यालय भवन निर्माण / आवास निर्माण किया जाना है, पर चाहरदीवारी का निर्माण कार्य आदि के प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्न बिन्दुओं का आगणन प्रस्ताव में उल्लेख किया जाना अपरिहार्य है:–

1. शासन द्वारा निर्धारित लागत सीमा हेतु अधिकृत / अनुमोदित संस्था से ही कार्य कराया जा रहा है तथा कराये जाने वाले कार्य हेतु कार्यदायी संस्था शासन द्वारा नामित है।
2. वांछित कराये जाने वाले समस्त कार्य का समावेश प्रस्तुत प्रस्ताव / आगणन में सम्मिलित है।
3. कराये जाने वाले कार्यो के दायित्व का निर्धारण व भुगतान शासनादेश में निर्धारित शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।
4. कराये जाने वाले कार्यो के प्रस्ताव में कार्य का स्पष्ट उल्लेख सक्षम स्तर के अधिकारी की स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
5. कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारम्भिक आगणन प्रस्ताव में निहित धनराशि का मूल्यांकन स्थानीय स्तर से सक्षम स्तर के अधिकारी से कराकर, मूल्यांकन किये गये आगणन पर संबधित कार्यदायी संस्था का सहमति पत्र प्राप्त कर प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
6. जिस कार्य का स्थान, कार्य की प्रकृति समान हो उस कार्य को टुकड़ो में विभाजित न करके नियमानुसार एक साथ ही आगणन प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
7. मरम्मत, लघु निर्माण, नये निर्माण के कार्यो हेतु प्रेषित प्रस्तावों में वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निहित शासनादेशों के अंतर्गत प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाए तथा उनका अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए एवं कार्यदायी संस्था का चयन वित्त विभाग द्वारा निर्धारित सूची में प्रथम वरीयता "ए" श्रेणी की कार्यदायी संस्था से आगणन प्रस्ताव किया जाए। उनसे प्राप्त न होने की दशा में "बी" व "सी" श्रेणी की कार्यदायी संस्थाओं से आगणन प्रस्ताव प्राप्त किया जाए तथा "ए" श्रेणी की कार्यदायी संस्था से किये गये पत्राचार का उल्लेख प्रस्ताव में अवश्य किया जाए।

8. कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन प्रस्ताव में कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण करने की समय सीमा का उल्लेख प्रस्ताव में अवश्य किया जाये।

9. आवासीय भवनों में मरम्मत कार्य कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या–ए––1092/दस–2011–24(7)–95 दिनांक 25.11.2011 में उल्लिखित प्रतिनिधायन/शर्तों के अंतर्गत ही मुख्यालय को प्रस्ताव स्वीकृति हेतु उपरोक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत ही प्रेषित किये जाये।

10. नये वृहद निर्माण कार्य/निर्माण कार्य हेतु तीन राजकीय कार्यदायी संस्थाओं से तथा लघु निर्माण कार्य/अनुरक्षण कार्य हेतु एक राजकीय कार्यदायी संस्थाओं से उपरोक्त बिन्दुओं के समावेश करते हुए परिपक्व एवं औचित्यपूर्ण आगणन प्रस्ताव समयान्तर्गत अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु मुख्यालय प्रेषित किये जाये।

यह भी अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में मुख्यालय पर मरम्मत/निर्माण कार्य से संबंधित प्रस्ताव बजट की अनुपलब्धता के कारण शासन से स्वीकृति जारी नहीं करायी जा सकी। उन प्रस्तावों पर वर्तमान वित्तीय वर्ष में कार्यदायी संस्था से कार्य करने की सहमति उसी दर पर प्राप्त कर अपनी स्पष्ट संस्तुति प्रस्ताव उपलब्ध कराये।

उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य कर विभाग उ0 प्र0 की विभागीय भूमि/कार्यालय भवन/आवासीय भवनों की चाहरदीवारी के निर्माण कार्य कराये जाने हेतु मुख्यालय के पत्र संख्या–797 दिनांक 22.03.2023 द्वारा पूर्व में निर्देश जारी किये जा चुके है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं के दृष्टिगत राज्य कर विभाग के विभागीय कार्यालय/आवासीय भवनों में मरम्मत/अनुरक्षण कार्य/लघु निर्माण कार्य/नये निर्माण कार्य तथा विभाग को उपलब्ध भूमि जहां पर भविष्य में कार्यालय भवन निर्माण/आवास निर्माण किया जाना है, पर चाहरदीवारी का निर्माण कार्य आदि के परिपक्व एवं औचित्यपूर्ण प्रस्ताव, जो अपरिहार्य कार्य के हो, की प्राथमिकता निर्धारित करते हुए उपरोक्त निर्देशानुसार तीन राजकीय कार्यदायी सस्थाओं से उपरोक्तानुसार आगणन प्रस्ताव प्रतिहस्ताक्षरित कर उपलब्ध कराये जाने हेतु संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर उ0 प्र0 को निर्देशित कर दें व स्वयं भी प्रभावी अनुश्रवण करते हुए समयान्तर्गत अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित दिनांक 30.06.2023 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

यह पत्र आयुक्त राज्य कर उ0 प्र0 के अनुमोदनोपरान्त जारी किया गया है।

भवदीय,

(ओम प्रकाश वर्मा)
अपर आयुक्त राज्य कर,
प्रभार– अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर
उ0 प्र0, लखनऊ।

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त।

1. संयुक्त आयुक्त (स्था0अराज0/प्रभारी–नजारत) राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रस्ताव उपरोक्तानुसार समयान्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

अपर आयुक्त राज्य कर,
प्रभार– अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर
उ0 प्र0, लखनऊ।